नम्बर अहकाम हुक्म की जारी में

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 220/18 (धारा 75 भू राजस्व अधि01956) (RCMS No.2018/00241)

1. रेवती प्रसाद शर्मा
2. रमेशचंद शर्मा
3. सुरेशचंद शर्मा

पुत्रान वैनोराम जाति ब्राहामण निवासी सहना तहसील रूपवास जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार रूपवास जिला भरतपुर।
2. नायब तहसीलदार उप तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।

..... रैस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अंतर्गत धारा 75 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपखण्डाधिकारी रूपबास दिनांक 24.10.2018 मु0नं0 10/17 रेवती बनाम सरकार (136 एल आर एक्ट)

उपस्थितिः–

1. श्री पंकज कुमार वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता वकील रैस्पोडेन्ट।

निर्णय

दिनांकः– 07.11.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 उपखण्डाधिकारी रूपबास के निर्णय दिनांक 24.10.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 01.09.2017 को अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 सहपठित धारा 136 एल आर एक्ट के तहत इस आशय का तहत अदालत के समक्ष पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 1043/128 रकबा 2 बिस्वा वाकै ग्राम सहसना तहसील रूपवास में स्थित है, जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि है। राजस्व कर्मचारियों की गलती से नक्शा पोन हिस्से का बन गया है जबकि उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में 2 बिस्वा है व मौके पर भी 2 बिस्वा है। इससे पूर्व के राजस्व नक्शे में भी 2 बिस्वा ही थी। नक्शे की आड़ में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को बेदखल करने पर उतारू हैं। दिनांक 07.08.2017 को अप्रार्थीगण ने मौके पर आकर बेदखल करने की धमकी दी। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व नक्शे को रिकार्ड के अनुसार शुद्ध करने हेतु कहे जाने पर मना कर दिया गया। खसरा नंबर 1043/128 का नया नंबर 186 बना है जो कि गलती से पोन हिस्से का बना दिया गया। इसलिए इसे दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवाए जाने हेतु आवेदन किया गया था। जिसे अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.10.2018 के द्वारा अदालत मातहत की ओर से खारिज कर दिया गया। इस निर्णय के विरूद्ध उक्त अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा रैस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई। अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली तलब की गई।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

रैस्पोडेन्ट की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.10.2018 विधिविरूद्ध एवं तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व न तो पत्रावली का अवलोकन किया और न ही पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड को भलीभांति देखा। अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में नक्शा दुरूस्ती कराने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था न कि खातेदारी अधिकार घोषित कराने का वाद प्रस्तुत किया गया था। नक्शा दुरूस्ती के प्रार्थना पत्र से राजस्व मण्डल में विचाराधीन रैफरेन्स संख्या 105/11 से कोई सरोकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र कयास के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अदालत मातहत की पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व तहसीलदार की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलान्ट विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है तथा मौके पर काबिज है। वर्तमान नक्शा गत के अनुरूप नहीं है। वर्तमान नक्शे के आधार पर नाप करने पर प्रार्थी/अपीलान्ट का रकबा कम होता है। जिसकी पुष्टि स्वयं तहसीलदार ने अदालत मातहत में प्रस्तुत रिकार्ड में की थी। इसके बावजूद गलत रूप से रैफेरेन्स संख्या 105/11 का उल्लेख कर प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो कि निरस्तीनय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.10.2018 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट प्रार्थी की खातेदारी में स्थित भूमि के नक्शे को साविक नक्शे के अनुसार दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिए जावें।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए सरकारी पैरोकार ने तर्क दिया कि विवादित भूमि के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल में रैफेरेन्स विचाराधीन होने के कारण अदालत मातहत में रैफेरेन्स के अंतिम निर्णय होने तक अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का आदेश दिया है जो कि न्यायोचित है, क्योंकि सक्षम न्यायालय में विवादित भूमि का रैफरेन्स विचाराधीन होने के कारण किसी भी तरह का कोई भी आदेश दिया जाना उचित नहीं था। इसी आधार पर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है। अतः अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.10.2018 यथावत रखा जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में अपीलान्ट की ओर से उपखण्ड अधिकारी रूपबास के न्यायालय में एल.आर.एक्ट की धारा 131 सहपठित धारा 136 के तहत नक्शे में दुरूस्ती किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसके साथ नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 नक्शा ट्रेस, मिलान क्षेत्रफल आदि की प्रतियां प्रस्तुत की गई। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा तहसीलदार रूपबास से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में रिपोर्ट चाही गई। जिस पर तहसीलदार रूपबास ने पत्र दिनांक 27.02.2018 के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट भिजवाई गई कि ग्राम सहना के साविक खसरा नंबर 1043/128 रकबा 2 बिस्वा गैर मुमकिन रमेशचन्द, रेवती प्रसाद, सुरेशचन्द की खातेदारी में दर्ज है। उपलब्ध नक्शा शीट जीर्ण स्थिति में है।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

भूप्रबन्ध विभाग द्वारा नए खसरा नंबर 0.02 है0 बनाया गया है। मौके पर नये खसरा नंबर 186 रकबा 0.02 है0 पर प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है, लेकिन नए नक्शे शीट में रकबा 12x8 96 वर्गमीटर है। नक्शे में 104 मीटर कम दर्शाया गया है, लेकिन उक्त खसरा नंबर का रैफरेन्स प्रकरण अब्दुल रहमान ने राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में मुकदमा नंबर 105 सन् 2011 से विचाराधीन है। पत्र के साथ पटवारी हल्का की रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस की फोटोप्रति, राजस्व मण्डल की ओर से जारी नोटिस, साविक नक्शा ट्रेस की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.10.2018 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी रूपबास द्वारा पारित किया गया। जिसमें उल्लेख किया गया कि उक्त प्रार्थना पत्र में दर्ज खसरा नंबर का रैफरेन्स प्रकरण राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का आदेश पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नहीं प्रतीत होती है, क्योंकि अपीलान्ट की ओर से अदालत मातहत में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में न तो यह उल्लेख किया गया कि उनकी खातेदारी में दर्ज साविक खसरा नंबर 1043/128 के नक्शे में वर्णित भूमि कौन से खसरा नंबर में शामिल की गई है और न ही पटवारी हल्का द्वारा ही अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य को स्पष्ट किया गया है। जबकि प्रार्थी का यह दायित्व था कि अदालत मातहत के समक्ष यह साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत करते कि उनकी खातेदारी में स्थित खसरा नंबर की भूमि नक्शे के मुताबिक अन्य किस नंबर के नक्शे में शामिल की गई है। इसके अलावा विवादित खसरा नंबर के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल में रैफरेन्स विचाराधीन होने के कारण विवादित खसरा नंबर के संबंध में किसी प्रकार का कोई निर्णय किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.10.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 07.11.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर